



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

30 आश्विन , 1943 (श०)

संख्या-523 राँची, शुक्रवार,

22 अक्टूबर, 2021 (ई०)

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)

अधिसूचना

24 सितम्बर, 2021

संख्या-अ०स०-5/कृ०वि०प०-05/2010-1603--झारखंड कृषि उपज बाजार अधिनियम, 2000 धारा-9 की उपधारा-5 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से निम्नवर्णित अनुसूची के स्तम्भ-2 में अंकित बाजार समिति को स्तम्भ-3 में अंकित अवधि के लिए या इनकी निर्वाचित समिति के गठन होने तक जो भी पहले हो, विघटित करते हैं और उक्त धारा के अन्तर्गत अनुसूची के स्तम्भ-4 में अंकित व्यक्ति को समिति तथा समिति की सभी उप समितियों के कर्तव्यों एवं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए विशेष पदाधिकारी के रूप में घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र०	बाजार समिति का नाम	विघटन की तिथि	नाम निर्देशित व्यक्ति का नाम एवं पदनाम
1	2	3	4
1	कोडरमा	दिनांक-21.06.2019 से 20.12.2019 तक दिनांक-21.12.2019 से 20.06.2020 तक	श्री विजय वर्मा, (झा०प्र०से०) अनुमण्डल पदाधिकारी, कोडरमा

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कृष्ण कुमार पाण्डेय,
सरकार के उप सचिव ।
